②

217

-1-

BEFORE THE BOARD OF REVENUE, GWALIOR (M.P.)

REVISION NO. /2016 निग-2315-I-16

APPLICANTS :- (1) **Atul Kumar Sahu S/o Omkar Prasad Sahu,** aged about 32 years, resident of 1602, Tripuri Ward, Tripuri Chowk, Siddh Nagar, Jabalpur, District Jabalpur (M.P.).

(2) **Kuldeep Soni S/o Shri S.L. Soni,** aged about 43 years, resident of 2869, Tulsi Nagar, Cherital Ward, Jabalpur, District Jabalpur (M.P.).

दिनांक 15.7.16 को श्री रणजीत सिंह अभि० द्वारा प्रस्तुत।
15.7.16
SO

// **VERSUS** //

NON-APPLICANTS :- (1) **Jabalpur Development Authority,** Through its President, Civic Centre, Marhatal, Jabalpur (M.P.).

(2) **The Sub-Divisional Officer Gorakhpur,** District Jabalpur (M.P.).

RANJITSINGH 15/7/16

REVISION UNDER SECTION 50 OF THE M.P. LAND REVENUE CODE, 1959

Being aggrieved by the Order dated 05/07/2016 passed by the Sub-Divisional Officer Gorakhpur, Jabalpur in Case No.64/A-6/2016-17 whereby the S.D.O. stayed the order dated 24/05/2016 passed by Tahsildar Jabalpur. Hence, this REVISION on the following facts & grounds inter-alia:-

(1) That, the applicants purchased the piece of land bearing Khasra No.122/4, total area 0.162 hectare, Khasra No.122/5, total area 0.206 hectare & Khasra

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – निग0 2315–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 5–7–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों द्वारा मौजा गढ़ा न.बं. 599 प.ह.नं. 06 स्थित भूमि खसरा नं. 122/4 रकबा 0.162, खसरा नं. 123/3 रकबा 0.987 एवं खसरा नं. 122/5 में से रकबा 0.206 हैक्टर कुल 1.355 हैक्टर भूमि जनता गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित जबलपुर से दिनांक 8–2–16 को पंजीकृत विकयपत्र से कय की । विकयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन पेश किया जो तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24–5–16 द्वारा स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसके साथ स्थगन आवेदन पेश किया गया । उक्त अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 5–7–16 द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के कियान्वयन पर रोक लगाई गई । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि आवेदकों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकयपत्र से कय की गई है । विकयपत्र के आधार पर आवेदकों का नामांतरण विधिवत प्रकिया उपरांत किया गया है । नामांतरण के पश्चात आवेदकों द्वारा भूमि का डायवर्सन कराया गया जिस पर किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है । यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 1067–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 5–5–16 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को भूमिस्वामी की मान्य की गई है । उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि अनावेदक कमांक 1 विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इस कारण उन्हें अपील करने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में उन्होंने अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई आवेदन भी नहीं दिया है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर उनके समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है । 4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि राजस्व मंडल के आदेश को उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । 5/ जबाव में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2315–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के आदेश पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार का जो आदेश है वह उचित है । माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वह पक्षकारों के साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा । 6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण विकयपत्र के आधार पर नामांतरण का है । आवेदक द्वारा भूमि पंजीकृत विकयपत्र से कय की गई है और विकयपत्र के आधार पर आवेदक केता का नामांतरण किया गया है । आवेदक द्वारा जिस भूमि को विकेता से कय किया गया है, उस प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी विकेता को इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांमक 1067–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 5–5–16 द्वारा मान्य किया गया है तथा अनावेदक का कोई अधिकार प्रश्नाधीन भूमि में नहीं पाया गया है । जहां तक अनावेदक के इस तर्क का प्रश्न है कि राजस्व मंडल के आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई है किंतु उसमें कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है और उक्त याचिका अभी लंबित है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर आवेदक के पक्ष में किए गए भूमि के नामांतरण के आदेश देने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गई है । जहां	

R. 2315-5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तक माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका का प्रश्न है उसमें माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा वह पक्षकारों के साथ–साथ राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होगा और उस अनुसार कार्यवाही की जायेगी । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है । परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए उनके समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है । पक्षकारों को सूचना दी जाये एवं अभिलेख वापिस किया जाये । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	